

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा

(पीठसीन अधिकारी प्रशासन गांव के संग/कैम्प कोर्ट 2021)

पीठसीन अधिकारी :- श्रीमती शकुन्तला चौधरी आर0ए0एस0

उमवान

बनाम

काशीराम

बगडावत आदि

दावा बाबत :- 88 R/A ct

मुकदमा नम्बर :- 35/2021

निर्णय दिनांक :- 22-11-2021

वादी की ओर से वकील विनोद सिंघाडिया की व प्रतिवादी सं0 J.C.T.M की ओर से वकील सुरेश गजवाल की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 22-11-2021 को मुझ शकुन्तला चौधरी सहायक कलक्टर फास्ट ट्रैक भादरा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि सोही मोजा जाशन के खाता सं0 74/76 के खसरा सं0 17/2 की 0.535 है, खसरा सं0 18/3 की 1.337 है, खसरा सं0 125/1 की 1.822 है, खसरा सं0 125/1 की 1.163 है कुल 4.857 है बाराही कृषि मुक्ति प्रतिवादी सं0 बगडावत के नाम से राजस्व रिलाउ सं0 2 है सं0 से प्रतिवादी सं0 का नाम कलमपान किष्ण जागर वादी सं0 काशीराम, वादी सं0 2 अमरसिंह, वादी सं0 3 लालराम, वादी सं0 4 जिन्दाराम वादी सं0 5 खमणाराम को विसिवा कराने के खातेवार नाशुमार वीक्षित किए जाते हैं कृषि प्रतिवादी सं0 1 का नाम ने अपना सम्पूर्ण हक व विसिवा वादी सं0 1 का 5 के पास में त्याग कर अन्य कुर लिया है इसलिए त्याग किए गये विसिवा पूरे पेजापन किमाग का दाय पेजापन कुल एवं स्याम उभूके अदा करण व प्रतिवादी के रख होता रहनुमुक्त होने के उपरान्त हो राजस्व रिलाउ में अगत दरामद किष्ण जाग

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 22-11-2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(शकुन्तला चौधरी)

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)

भादरा, जिला हनुमानगढ़